

पूंजीगत प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014	बजट 2014-2015	संशोधित 2014-2015	बजट 2015-16	
ऋण-भिन्न प्राप्तियां						
1. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां						
1.01.	राज्य सरकारें					
1.01.01.	सकल प्राप्तियां	7601	10007.60	9685.63	8680.78	8917.46
1.01.02.	वसूलियां	7601	...	-1000.00	-100.00	-100.00
	<i>निवल-राज्य सरकारें</i>		10007.60	8685.63	8580.78	8817.46
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले)	7602	111.66	146.54	454.43	454.53
1.03.	विदेशी सरकारें	7605	344.10	379.20	368.18	358.42
1.04.	अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)					
1.04.01.	सकल प्राप्तियां	9001	14085.64	12605.82	15079.21	12983.46
1.04.02.	वसूलियां	9001	-12052.36	-11290.00	-13597.08	-11861.04
	<i>निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सरकारी क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)</i>		2033.28	1315.82	1482.13	1122.42
	<i>निवल-ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां</i>		12496.64	10527.19	10885.52	10752.83
2. विविध पूंजी प्राप्तियां						
2.01	विनिवेश प्राप्तियां	4000	18253.95	43425.00	26353.30	41000.00
2.02	गैर-सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्से का विनिवेश	4000	6108.14	15000.00
2.03	एएमसी के पास राशियों को पुनरांकित करना	4000
2.04	अन्य	4000	5005.80	5000.00	5000.00	...
2.05	कार्यनीतिक विनिवेश	4000	28500.00
2.06	घटाइए: बोनस शेयर निर्गम	4000	-3.00	...
	<i>जोड़-विविध पूंजी प्राप्तियां</i>		29367.89	63425.00	31350.30	69500.00
	जोड़ - ऋण-भिन्न प्राप्तियां		41864.53	73952.19	42235.82	80252.83
ऋण प्राप्तियां						
3. उधार						
3.01.	बाजार ऋण					
3.01.01.	सकल उधार	6001	563674.67	600000.00	592000.00	600000.00
3.01.02.	अदायगी	6001	-95006.57	-138795.33	-138795.33	-143594.54
	<i>निवल-बाजार ऋण</i>		468668.10	461204.67	453204.67	456405.46
3.02.	प्रतिभूतियों का अंतरण					
3.02.01.	सकल उधार	6001	31472.28	50000.00	32000.00	50000.00
3.02.02.	अदायगी	6001	-30999.54	-50000.00	-32000.00	-50000.00
	<i>निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण</i>		472.74
3.03	वापसी खरीद					
3.03.01	सकल उधार	6001
3.03.02	अदायगी	6001	-15590.00	...	-6282.88	...
	<i>निवल वापसी खरीद अंतरण</i>		-15590.00	...	-6282.88	...
3.03	अल्पावधिक उधार					
3.04.01	14 दिवसीय हुंडियां					
3.04.01.01	सकल उधार	6001	2151859.53	2343495.00	2343495.00	2378006.28
3.04.01.02.	अदायगी	6001	-2183501.92	-2343495.00	-2343495.00	-2378006.28
	<i>निवल</i>		-31642.39
3.04.02.	91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.02.01.	सकल उधार	6001	580087.59	632588.51	696766.51	735410.60
3.04.02.02.	अदायगी	6001	-559423.26	-618134.64	-658912.12	-717473.45
	<i>निवल</i>		20664.33	14453.87	37854.39	17937.15

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014	बजट 2014-2015	संशोधित 2014-2015	बजट 2015-16
3.04.03. 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.03.01. सकल उधार	6001	137520.26	149197.96	147707.88	160874.14
3.04.03.02. अदायगी	6001	-125298.91	-149197.96	-146688.24	-156874.14
निवल		12221.35	...	1019.64	4000.00
3.04.04. 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.04.01. सकल उधार	6001	136956.26	157006.51	149251.15	163425.05
3.04.04.02. अदायगी	6001	-130470.80	-136907.51	-136956.26	-155299.65
निवल		6485.46	20099.00	12294.89	8125.40
3.04.05. नकद प्रबंधन बिल					
3.04.05.01. सकल उधार	6001	107195.00	100000.00	10000.00	100000.00
3.04.05.02. अदायगी	6001	-107195.00	-100000.00	-10000.00	-100000.00
निवल	
3.04.06. अर्थोपाय अग्रिम					
3.04.06.01. सकल उधार	6001	242425.00	500000.00	315078.00	500000.00
3.04.06.02. अदायगी	6001	-242425.00	-500000.00	-315078.00	-500000.00
निवल	
निवल - अल्पावधिक उधार		7728.75	34552.87	51168.92	30062.55
निवल - उधार		461279.59	495757.54	498090.71	486468.01
4. लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां					
4.01. प्राप्ति	6001	13659.53	9531.00	34578.00	23835.00
4.02. अदायगी	6001	-1302.48	-1302.48	-1302.48	-1427.48
निवल - लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां		12357.05	8228.52	33275.52	22407.52
5. राज्य भविष्य निधियां					
5.01. प्राप्ति	8009	46914.53	48000.00	46000.00	46000.00
5.02. संवितरण	8009	-37161.69	-36000.00	-36000.00	-36000.00
निवल - राज्य भविष्य निधियां		9752.84	12000.00	10000.00	10000.00
6. अन्य प्राप्ति (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)					
6.01. राहत बांड					
6.01.01. प्राप्ति	6001	4.18
6.01.02. संवितरण	6001	-22.22	-30.84	-41.64	-33.18
निवल - राहत बांड		-18.04	-30.84	-41.64	-33.18
6.02. बचत बांड					
6.02.01. प्राप्ति	6001	251.25	297.00	267.81	288.30
6.02.02. संवितरण	6001	-441.82	-1157.80	-705.16	-5733.17
निवल - बचत बांड		-190.57	-860.80	-437.35	-5444.87
6.03. अन्य					
6.03.01. प्राप्ति	6001
6.03.02. संवितरण	6001
निवल - अन्य	
6.04. डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
6.04.01. प्राप्ति	6001
6.04.02. संवितरण	6001
निवल - डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)	
6.05. अन्य प्राप्ति (राज्य भविष्य निधियों के अलावा लोक लेखा)					
6.05.01. प्राप्ति	9002	641734.86	598962.30	663228.80	713950.76
6.05.02. संवितरण	9002	-612766.37	-603212.00	-684397.07	-693327.84
6.05.03. घटाइए - प्राप्ति	9002
निवल - अन्य प्राप्ति (राज्य भविष्य निधियों से भिन्न, लोक लेखा)		28968.49	-4249.70	-21168.27	20622.92

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014	बजट 2014-2015	संशोधित 2014-2015	बजट 2015-16	
6.06.	अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं					
6.06.01.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष					
6.06.01.01.	प्राप्तियां	6001	4269.00	500.01	4618.80	0.02
6.06.01.02.	अदायगी	6001	-1443.60	-2514.98	-1000.00	-1500.00
6.06.01.03.	घटाइए - निवल प्राप्तियां	6001	-366.96	-773.26	-5372.72	-505.37
	निवल		2458.44	-2788.23	-1753.92	-2005.35
6.06.02.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक					
6.06.02.01.	प्राप्तियां	6001
6.06.02.02.	अदायगी	6001
	निवल	
6.06.03.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ					
6.06.03.01.	प्राप्तियां	6001	433.29	419.96
6.06.03.02.	अदायगी	6001
	निवल		433.29	419.96
6.06.04.	एशियाई विकास बैंक और निधि					
6.06.04.01.	प्राप्तियां	6001	172.83	271.93	248.64	48.02
6.06.04.02.	अदायगी	6001	-29.00	-29.60	-66.37	-67.44
	निवल		143.83	242.33	182.27	-19.42
6.06.05.	अफ्रीकी विकास कोष एवं बैंक					
6.06.05.01.	प्राप्तियां	6001	2.61	1.32	71.99	37.37
6.06.05.02.	अदायगी	6001	-16.90	-17.63	-58.83	-18.45
	निवल		-14.29	-16.31	13.16	18.92
	निवल - अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं		2587.98	-2562.21	-1125.20	-1585.89
	निवल - अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)		31347.86	-7703.55	-22772.46	13558.98
7.	विदेशी ऋण					
7.01.	बहुपक्षीय					
7.01.01.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक					
7.01.01.01.	प्राप्तियां	6002	3402.69	4141.20	5810.55	6285.00
7.01.01.02.	अदायगी	6002	-3677.45	-4160.22	-4147.25	-4843.45
	निवल		-274.76	-19.02	1663.30	1441.55
7.01.02.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01.	प्राप्तियां	6002	7007.81	6147.27	7929.10	8550.00
7.01.02.02.	अदायगी	6002	-5895.73	-8279.94	-7881.70	-9373.20
	निवल		1112.08	-2132.67	47.40	-823.20
7.01.03.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01.	प्राप्तियां	6002	184.66	209.00	193.18	395.70
7.01.03.02.	अदायगी	6002	-68.85	-81.74	-78.12	-78.73
	निवल		115.81	127.26	115.06	316.97
7.01.04.	एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01.	प्राप्तियां	6002	4309.25	6129.53	7166.79	7929.18
7.01.04.02.	अदायगी	6002	-2032.12	-2126.42	-2236.76	-2649.67
	निवल		2277.13	4003.11	4930.03	5279.51
7.01.05.	पूर्वी यूरोपीय समुदाय (सैक)					
7.01.05.01.	प्राप्तियां	6002
7.01.05.02.	अदायगी	6002	-8.70	-9.39	-9.38	-9.34
	निवल		-8.70	-9.39	-9.38	-9.34
7.01.06.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन					
7.01.06.01.	प्राप्तियां	6002	8.87	50.00	75.00	50.00

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014	बजट 2014-2015	संशोधित 2014-2015	बजट 2015-16
7.01.06.02. अदायगी निवल	6002	-17.29	-18.54	-18.26	-18.46
निवल - बहुपक्षीय		-8.42	31.46	56.74	31.54
		3213.14	2000.75	6803.15	6237.03
7.02. द्विपक्षीय					
7.02.01. जर्मनी					
7.02.01.01. प्राप्तियां	6002	899.10	565.05	777.90	462.00
7.02.01.02. अदायगी निवल	6002	-1157.29	-1282.70	-1193.79	-1193.64
		-258.19	-717.65	-415.89	-731.64
7.02.02. फ्रांस					
7.02.02.01. प्राप्तियां	6002	1016.43	17.00	220.06	462.00
7.02.02.02. अदायगी निवल	6002	-227.73	-379.86	-240.84	-120.82
		788.70	-362.86	-20.78	341.18
7.02.03. इटली					
7.02.03.01. प्राप्तियां	6002
7.02.03.02. अदायगी निवल	6002
	
7.02.04. जापान					
7.02.04.01. प्राप्तियां	6002	8777.21	10893.99	8224.89	10189.47
7.02.04.02. अदायगी निवल	6002	-3875.47	-4262.12	-3884.50	-4034.38
		4901.74	6631.87	4340.39	6155.09
7.02.05. स्विटजरलैण्ड					
7.02.05.01. प्राप्तियां	6002
7.02.05.02. अदायगी निवल	6002	-4.90	-19.91	-4.76	-4.47
		-4.90	-19.91	-4.76	-4.47
7.02.06. यू.एस.ए.					
7.02.06.01. प्राप्तियां	6002
7.02.06.02. अदायगी निवल	6002	-174.21	-979.96	-177.19	-182.74
		-174.21	-979.96	-177.19	-182.74
7.02.07. रूसी फेडरेशन					
7.02.07.01. प्राप्तियां	6002	9.17	22.00	10.00	50.00
7.02.07.02. अदायगी निवल	6002	-984.56	-840.46	-829.45	-691.10
		-975.39	-818.46	-819.45	-641.10
7.02.08 कुवैत					
7.02.08.01 प्राप्तियां	6002	-79.46
7.02.08.02 अदायगी निवल	6002
		-79.46
7.02.09 स्वीडन					
7.02.09.01 प्राप्तियां	6002	-119.50
7.02.09.02 अदायगी निवल	6002
		-119.50
निवल - द्विपक्षीय		4078.79	3733.03	2902.32	4936.32
निवल - विदेशी ऋण		7291.93	5733.78	9705.47	11173.35
जोड़ - ऋण प्राप्तियां		522029.27	514016.29	528299.24	543607.86
8. नकद शेष की आहरण द्वारा कमी					
8.01. प्राप्तियां	9003	...	17160.40	...	12041.44
8.02. संवितरण	9003	-19170.95	...	-15671.48	...
निवल - नकद शेष की आहरण द्वारा कमी		-19170.95	17160.40	-15671.48	12041.44
9. बाजार स्थिरीकरण स्कीम					
9.01. प्राप्तियां	6001	...	20000.00	...	20000.00
9.02. अदायगी	6001
निवल - बाजार स्थिरीकरण स्कीम		...	20000.00	...	20000.00
कुल जोड़		544722.86	625128.88	554863.58	655902.13

1. उपर्युक्त विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2014-15 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2014-15 और बजट अनुमान 2015-16 के बीच अंतर नीचे दी गई टिप्पणियों में दिया गया है।

1.01 राज्य सरकारों से वसूलियां: राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2014-15 में ₹8580.78 करोड़ तथा ब.अ. 2015-16 में ₹8817.46 करोड़ लगाया गया है। सं.अ. 2014-15 में प्राप्तियों में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिस्तुलित किया जाता है।

1.02 संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) से वसूलियां: ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

1.03 और 1.04 अन्य द्वारा अदायगी: इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की अदायगियां आदि शामिल हैं।

2. विविध पूंजी प्राप्तियां : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के भाग के विनिवेश के कारण प्राप्तियां शामिल हैं।

सीपीएसईएस विनिमय व्यापार कोष (सीपीएसई ईटीएफ) भी आरम्भ किया गया है ताकि इन सीपीएसई में वित्त वर्ष 2014-15 में ईटीएफ वॉस्केट के भाग के रूप में शेयरधारिता को मौद्रिक रूप दिया जा सके।

सरकार ने "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) नाम से एक कोष स्थापित किया है जिसमें चुनिंदा सीपीएसईएस में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से मिलने वाले आगमों को चैनलाइज किया जाएगा। इस प्रकार एनआईएफ में जमा इन निधियों को आहरित किया जाएगा और वर्ष 2015-16 में पूर्ण व्यय के संबंध में इनका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण तथा भारतीय रेल में निवेश के लिए किया जाएगा। इसके एवज में प्राप्त अन्य प्राप्तियों को एसडीआर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तरित कर दिया जाएगा।

3.01 बाजार ऋण : भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जारी किए जिनपर अर्ध वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्धवार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है। 2014-15 में अदायगियों का ब्यौरा अनुबंध-13 में दिया गया है। विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पुनःपूजीकरण बॉण्ड : भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पूरा कर लिया है। रुपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 6क में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा किया है (अनुबंध 6ख में ब्यौरा देखें)।

3.03 अल्पावधिक उधार (364/182/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां) : ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पृही बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी और 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पाक्षिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कलैन्डर में निर्दिष्ट की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधिक के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है।

3.03.05 नकदी प्रबन्धन हुंडियां : नकदी प्रबंधन हुंडिया सरकार के अस्थाई नकदी प्रवाह असंतुलों को दूर करने के लिए जारी की जाती हैं। नकदी प्रबन्धन हुंडियां जारी किए गए गैर-मानक, बट्टा लिखत हैं, 91 दिन से कम की परिपक्वता अवधि के लिए, और जब आवश्यक हो, तब जारी की जाती हैं।

4. राष्ट्रीय लघु बचत निधि: लघु बचत योजनाएं: इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, डाकघर सवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) तथा लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता।

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दरों के, तीन अपवादों के साथ 25 आधार बिंदुओं (बीपीएस) के स्प्रैड के साथ, समनुरूप कर दी गई है। 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (नयी लिखत) का स्प्रैड 50 बीपीएस और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस होगा। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरें उस वर्ष की पहली अप्रैल से पहले अधिसूचित की जाएंगी।

4.01 लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। वर्तमान में, केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 9.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कोई भुगतान स्थगन काल नहीं है। राज्य का हिस्सा राज्य के भीतर निवल संग्रहण का 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत है, जैसा कि राज्य विकल्प दे। एनएसएसएफ में इन प्रतिभूतियों के उन्मोचन को ब्याज की विद्यमान दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित किया जाता है।

तेरहवें वित्त आयोग (एफसी XIII) की सिफारिशों के अनुसार, उन राज्यों को अपने संबंधित एफआरबीएम अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्यों के अनुपालन के आधार पर अनंतिम राहत दी गई है। 2006-07 तक संविदा करने वाले राज्यों को दिए गए ऋणों पर और 2009-10 के अंत तक बकाया ऋणों पर ब्याज दर वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए उन राज्यों द्वारा एमआरबीएम अधिनियम के संशोधन/लागू होने की तारीख से, 9 प्रतिशत पर पुनःनिर्धारित किया गया है।

निधि से होने वाले व्यय के अंतर्गत अभिदाताओं को ब्याज अदायगी और प्रबन्धन लागत शामिल हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज इस निधि को होने वाली आय है।

एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा उपयोजन अनुबंध 7क में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा अनुबंध 7ख में दिया गया है।

6.02 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 : 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से शुरु की गई थी ताकि निवासी नागरिक/धर्मार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि, बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के, अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। इन पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा जो छमाही संदेय होगा। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता है। तथापि, 19 अगस्त, 2008 से वे अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र हैं। इन बांडों को जारी करने की तारीख से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार न्यूनतम लॉक-इन पीरियड के पश्चात 60 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह वाले निवेशकों के लिए, भारत सरकार की तारीख 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना द्वारा परिपक्वता अवधि पूर्व नकदीकरण की अनुमति दी गयी है:

(क) 60 से 70 वर्ष की आयु समूह वाले निवेशकों के लिए लॉक-इन पीरियड, बांड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष होगी;

(ख) 70 से 80 वर्ष की आयु समूह वाले निवेशकों के लिए लॉक-इन पीरियड, बांड जारी करने की तारीख से 4 वर्ष होगी; और

(ग) 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग वाले निवेशकों के लिए लॉक इन पीरियड, बांड जारी करने की तारीख से 3 वर्ष होगी।

6.03 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 : 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 की शुरुआत निवासी नागरिकों को, किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना, कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इस स्कीम को 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया गया है। इन बचत बांडों का मोचन किया जाने वाला है और वापसी अदायगी के लिए इनकी परिपक्वता 24 मार्च 2008 से आरंभ हो गई थी।

6.04 अन्य प्राप्ति (राज्य भविष्य निधि के अतिरिक्त लोक लेखा) : रेलवे प्रारक्षित निधियां :

रेलवे प्रारक्षित निधियों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध-14 पर देखा जा सकता है। उनमें से प्रत्येक का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(क) **रेलवे पेंशन निधि:** रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों के नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरु में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है।

(ख) **रेलवे मूल्यहास प्रारक्षित निधि:** इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है।

(ग) **रेलवे विकास निधि:** रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च, अलाभकारी प्रचालन सुधार एवं सुरक्षा कार्यों का खर्च पूरा करना है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकठ्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं।

(घ) **रेलवे पूंजी निधि:** इसे 1992-93 में इसलिये सृजित किया गया था कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है।

(ङ) **ऋण शोधन निधि:** इस निधि को 2013-14 से सृजित किए जाने का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य लिए गए ऋणों के लिए ऋण शोधन भुगतान, भावी वेतन आयोग/पुरस्कारों आदि जैसी भविष्य की वचनबद्ध देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करना है। जब भी ये देयताएं देय होंगी, तो इस निधि से निकासी की जाएगी।

(च) **रेलवे सुरक्षा निधि:** इसका सृजन मानव रहित लेवल क्रासिंग के परिवर्तन और व्यस्त लेवल क्रासिंग पर रेलवे उपरि/अंडर सेतु के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यों के वित्तपोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण मुख्यतया केंद्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाता है। यह निर्याज निधि है।

6.06 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं : यह अनुमान (क) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, से संबद्ध हैं। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

6.06.01. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ): भारत का आईएमएफ में वर्तमान कोटा ₹5821.50 मिलियन एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) है अर्थात् 2.44 प्रतिशत की शेरधारिता है। वोटिंग हिस्से के आधार पर भारत का स्थान (अपने निर्वाचन क्षेत्र के देशों जैसे, बंगलादेश, भूटान और श्रीलंका को साथ मिलाकर) 24 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में 17वां है।

आईएमएफ सदस्यों को कोटे की समीक्षा पांच वर्ष में एक बार करता है, और ऐसी पिछली समीक्षा दिसम्बर, 2010 में की गई थी। भारत ने 2010 की समीक्षा के तहत-अपनी कोटा वृद्धि की सहमति पहले ही दे दी है और 2010 की कोटा समीक्षा के पश्चात हमारे कोटे का हिस्सा वर्तमान के 2.44 प्रतिशत से बढ़कर 2.75 प्रतिशत हो जाएगा और भारत आईएमएफ में सर्वाधिक कोटा वाले देशों में पिछले 11वें स्थान से बढ़कर आठवां देश बन जाएगा। सापेक्ष दृष्टि से भारत का कोटा 5,821.5 मिलियन एसडीआर से बढ़कर 13,114.4 मिलियन एसडीआर हो जाएगा। जहां कोटा वृद्धि के 25 प्रतिशत का भुगतान नकद (प्रारक्षित मुद्रा) किया जाना है वहीं शेष 75 प्रतिशत का प्रतिभूतियों में भुगतान किया जाएगा। ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित ब्याज रहित नोट खरीद करार है जिनका नकदीकरण आईएमएफ द्वारा किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। जब तक आईएमएफ इन नोटों के किसी भाग के नकदीकरण हेतु भारत से अनुरोध नहीं करेगा, इसमें नकद व्यय नहीं होगा। कोटों के प्रारक्षित परिसंपत्ति भाग को देश के प्रारक्षित भंडार के रूप में माना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की उधार व्यवस्थाओं में भारत का अंशदान: कोष उधार व्यवस्थाओं के जरिए अपने कोटा संसाधनों को अस्थायी रूप से पूरा भी करता है। जुलाई, 2010 में भारत ने उधार की नई व्यवस्थाओं (एनएबी) के लिए अधिकतम 14 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की वचनबद्धता की थी जिसमें भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पिछले नोट अथवा प्रतिभूतियां थीं और वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आहरित की जा सकती हैं जब उनकी आपात निधियों में जरूरत हो। 2010 कोटा वृद्धि के प्रभाव में आने के बाद, हमारी एनएबी वचनबद्धता लगभग 7.0 बिलियन अमरीकी डॉलर तक कम हो जाने की आशा है। ये नोट नकद खर्च को तब तक प्रदर्शित नहीं करते जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत से नहीं कहता। ये उधार भारत की आरक्षित निधियों के भाग के रूप में माना जाता है।

चल रहे यूरो क्षेत्र संकट को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संकट को रोकने तथा संकल्प और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्यों को वित्तीय आवश्यकताओं के सामर्थ्य को पूरा करने के लिए एक नए द्विपक्षीय उधार कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। 37 सदस्यों ने, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कोटे का 3/5 भाग प्रदर्शित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों को 456 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए अंशदान करने की शपथ ली है। 19 जून, 2012 को आयोजित जी-20 के लोस काबोस सम्मेलन में, ब्रिक्स देशों ने अपने अंशदानों की घोषणा की जिसमें भारत का 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान शामिल है। 38 देशों से कुल प्रतिबद्धता 461 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

आईएमएफ ने यह वचनबद्धता दी है कि ये नए संसाधन केवल तभी आहरित किए जाएंगे यदि कोटे में से पहले से उपलब्ध संसाधनों और विद्यमान उधार व्यवस्थाओं के पर्याप्त रूप से उपयोग के बाद उनकी रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में जरूरत हो। यदि आहरित कर लिए जाते हैं, तो उनका ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि कोटे संसाधन कोष वित्त के मूल स्रोत रहेंगे तथा उधार की भूमिका कोटा संसाधनों को अस्थायी रूप से पूरा करने की है।

द्विपक्षीय उधार व्यवस्था, नोट क्रय करार (एनपीए) के रूप में है और इसे दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में तभी प्रयोग में लाया जाएगा, यदि कोटा और नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत संसाधनों का पर्याप्त प्रयोग कर लिया जाए। आरंभिक दो वर्षों की अवधि में, हाल ही में, आईएमएफ बोर्ड के अनुमोदन से एक और वर्ष का विस्तार प्रदान किया गया है। इस उधार कार्यक्रम 2012 हेतु, करार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। आरबीआई और आईएमएफ द्वारा 19.9.2013 को इस नोट क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार और आरबीआई के बीच 19 दिसंबर 2013 को इस आशय के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय लेन-देन योजना वह तंत्र है जिसके जरिए कोष सामान्य संसाधन लेखे में अपने सदस्यों को अपने उधार तथा भुगतान प्रचालनों के लिए वित्त पोषण करता है। कोष के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपने कोटे के अनुरूप सीमाओं तक उधार ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों को विदेशी मुद्रा तथा एसडीआर-दोनों में उधार देता है। विदेशी मुद्रा में दिया गया ऋण सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों को उपलब्ध कराए गए कोटा संसाधनों में से वित्तपोषित किया जाता है।

भारत सितंबर-नवम्बर, 2002 तिमाही से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एफटीपी में भागीदारी करने के लिए सहमत हुआ है। एफटीपी में भागीदारी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋणदाता सदस्य बनाया है। इसके अंतर्गत भारत को एफटीपी के अंतर्गत खरीदने (क्रेडिट निर्गम) या पुनः खरीद (हमारे ऋण लेनदार द्वारा ऋण शोधन) के लिए कहा जा सकता है। एफटीपी में भागीदारी करके भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दुर्लभ मुद्रा हेतु भारत के कोटा अंशदान के भाग के रूप में इसकी रुपये की धारिता का नकदीकरण करने के लिए अनुमत करता है, तब इसे अन्य सदस्य देशों को ऋण दिया जाता है जो आईएमएफ के ऋणी हैं। जबकि एफटीपी में भागीदारी भारत को आईएमएफ में इसकी वर्धित क्रेडिट ट्रांश स्थिति पर अतिरिक्त ब्याज कमाने की अनुमति देता है, ब्याज रहित रूप से प्रतिभूतियों के नकदीकरण से उधार की लागत अधिक हो सकती है तथा राजकोषीय स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए निर्णय लिया गया है कि आईएमएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों का प्रतिस्थापन भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की जाने वाली ब्याज रहित, गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियों से किया जाए।

6.06.04 एशियाई विकास बैंक (एडीबी): एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है।

6.06.05 अफ्रीकी विकास निधि (एएफडीएफ) और अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी): एएफडीएफ और एएफडीबी की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई है कि उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ निकट आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु निधि तथा बैंक दोनों में प्रवेश किया है।

7. विदेशी ऋण : बजट 2015-16 में सकल प्राप्तियां ₹34373.35 करोड़ और वापसी अदायगी ₹23200.00 करोड़ आंकी गई है। इसके फलस्वरूप निवल विदेशी ऋण ₹11173.35 करोड़ होगा।

7.01 बहुपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2015-16 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएससी) तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹6237.03 करोड़ रहने का अनुमान है।

7.02 द्विपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2015-16 में जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड, यूएसए और रूसी संघ से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹4936.32 करोड़ रहने का अनुमान है।

9. बाजार स्थिरीकरण योजना : सरकार के अनुमोदित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रूप में एमएसएस नकद खाते की राशि के एक भाग को सामान्य नकद खाते में अंतरित करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आपसी सहमति से बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन को संशोधित किया गया है। एमएसएस के तहत जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों की समतुल्य राशि भारत सरकार के सामान्य बाजार उधार का हिस्सा होगी। 2015-16 में एमएसएस के तहत निवल प्राप्तियां ₹20,000 करोड़ होने का अनुमान है।